न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बृजमोहन बनाम सरकार प्रकरण सं. 05/2015 निगरानी नगरपालिका	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.02.2019	अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित। गैर निगरानीकार की ओर से बहस हेतु गैर निगरानीकार अथवा अधिवक्ता गैर निगरानीकार कोई भी उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी निगरनीकार का पुस्तैनी एक पुख्ता मकान लाम्बापाडा लालसोट में स्थित रहा है। जिसमे प्रार्थी के पिता और पितामह निवास करते रहे है। करीब 05 वर्ष पूर्व तेज बारिस होने के कारण एवं मकान अधिक पुराना–जीर्णशीर्ण होने के कारण बरसात मे गिर गया। जिसे प्रार्थी ने अपने पूर्वजो के उस मकान को गिराकर मकान की भूमि को समतल किया गया। जब मकान खण्डर अवस्था के समय से ही प्रार्थी के पिता ने उक्त मकान ग्राण्ट एक्ट के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु वर्ष 2013 में ही आवेदन किया गया है। जो पट्टा पत्रावली नगरपालिका लालसोट लम्बित है। प्रार्थी के पडोस में साहू (तेली) धर्मशाला हैं। उक्त धर्मशाला के कथित पदाधिकारी प्रार्थी के भूखण्ड पर नाजायज कब्जा जमाने के उद्धेश्य से प्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत नगरपालिका लालसोट में दर्ज कराई थी कि प्रार्थी नगरपालिका लालसोट की भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर रहे है। इस पर नगरपालिका लालसोट ने दिनांक 06.08.2015 को रजिस्टर्ड नोटिस दिया। उक्त नोटिस मे प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी के निर्माण को 24 घण्टे में हटाने का विधि विरूद्ध नोटिस दिया। जिसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के पूर्वज, पूर्वजो के समय से ही निवास करते आ रहे है। टाउन सर्वे में भी प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज है इसके उपरान्त भी बिना दस्तावेजात सबूत के विधि विरूद्ध नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी को कोई सुनवाई एवं सबूत का अवसर नही दिया गया है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर नगरपालिका लालसोट द्वारा जारी नोटिस को निरस्त फरमावे। हमने अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया एवं नगरपालिका लालसोट से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया तत्पश्चात प्रकरण अधिशाषी अधिकारी लालसोट को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रकरण में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल लालसोट द्वारा जारी नोटिस क्रमाक 1008 दिनांक 06.08.2015 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण निगरानीकार को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिया जाकर तथा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ नगरपालिका लालसोट से प्राप्त मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा